**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2950**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों के दावे**

**2950. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या विभिन्न राज्यों में 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के सगे-संबंधियों को सहायता हेतु दावों को समयबद्ध तरीके से सरकारी निदेशों के अनुसार निपटा दिया गया है; और**

**(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने मामले लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): केंद्र सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास योजना के अनुसार, दावों की जांच और उनके निपटान की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। जो दावे पात्र पाए जाते हैं, उनके संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी स्वयं की निधियों से संवितरण करती हैं। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात, केंद्र सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करती है। आवंटित राशि के साथ-साथ प्रतिपूर्ति की गई राशि को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्‍नक में संलग्‍न है।

कुछ दावों का निपटान लंबित रहने का मुख्य कारण निकटतम संबंधी की पहचान में कठिनाई है, क्योंकि वे राज्य सरकारों के पास उपलब्ध पतों पर नहीं रह रहे हैं।

**\*\*\*\*\*\***

**-2-**

**अनुलग्‍नक**

**दिनांक 21.03.2018 का राज्‍य सभा अता. प्र. सं. 2950**

सिख-विरोधी दंगों के पीड़ितों के दावे

(राशि रु. में)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **राज्य** | **प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए अनुमानित कुल राशि** | **आज की तारीख के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि** |
| **बिहार** | **10,00,000** | **10,00,000** |
| **छत्तीसगढ़** | **55,00,000** | **25,00,000** |
| **हरियाणा** | **6,45,00,000** | **4,22,61,907** |
| **हिमाचल प्रदेश** | **10,00,000** | **10,00,000** |
| **जम्मू एवं कश्मीर** | **85,00,000** | **85,00,000** |
| **झारखंड** | **4,75,00,000** | **2,45,00,000** |
| **मध्य प्रदेश** | **2,45,00,000** | **2,45,00,000** |
| **महाराष्ट्र** | **45,00,000** | **45,00,000** |
| **ओडिशा** | **15,00,000** | **10,00,000** |
| **पंजाब** | **5,00,000** | **5,00,000** |
| **उत्तराखंड** | **30,00,000** | **15,00,000** |
| **उत्तर प्रदेश** | **13,25,00,000** | **7,75,00,000** |
| **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** | **136,65,00,000** | **100,00,00,000** |
| **चंडीगढ़** | **5,00,000** | **शून्य** |
| **पश्चिम बंगाल** | **30,00,000** | **30,00,000** |

**\*\*\*\*\*\***